

राष्ट्रीय सीमा शुल्क, अप्रत्यक्ष कर एवं नार्कोटिक्स अकादमी भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग नासिन कॉम्पलैक्स, सैक्टर—29, फरीदाबाद—121008

NATIONAL ACADEMY OF CUSTOMS, INDIRECT TAXES & NARCOTICS
Government of India, Ministry of Finance, Department of Revenue
NACIN Complex, Sector-29, Faridabad-121008

फोन /Telephone : 0129-2504652-54

फैक्स / Fax : 0129-2504632

फा.सं. ।।(11)11/2018- नासिन/78 = 307

दिनांक- 1**⊋** .01.2019

महोदया/महोदय,

विषय: 28 जनवरी, 2019 को सी.बी.आई.सी. के ग्रुप 'क' अधिकारियों के लिए नासिन, फरीदाबाद में "राजभाषा हिन्दी के अधिकारिक उपयोग" पर एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला- से संबंधित।

राष्ट्रीय सीमाशुल्क, अप्रत्यक्ष कर एवं नार्कोटिक्स अकादमी (नासिन), फरीदाबाद के द्वारा सी.बी.आई.सी. के ग्रुप 'क' अधिकारियों के लिए राजभाषा हिन्दी के अधिकारिक उपयोग पर एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला दिनांक 28 जनवरी, 2019 को आयोजित की जा रही है।

- 2. इसलिए यह निवेदन किया जाता है कि सी.बी.आई.सी. के उपयुक्त ग्रुप 'क' अधिकारियों को इस प्रशिक्षण कार्यशाला में भाग लेने के लिए नामांकित किया जाए।
- 3. नामांकन कृपया ई-मेल द्वारा श्री अजय कुमार अरोरा, उप-निदेशक, नासिन, फरीदाबाद को दिनांक 25 जनवरी, 2019 तक ई-मेल <u>adist.nacen@gov.in</u> पर भिजवा दिए जाएं। नामांकित अधिकारियों के दूरभाष/ मोबाईल नम्बर एवं ई-मेल पते भी नामांकन पत्रों में दिए जाएं तािक सुविधानुसार उनसे सम्पर्क/सम्प्रेषण किया जा सके।
- 4. यह निवदेन किया जाता है कि (कागज के ट्यर्थ ट्यय को रोकने हेतु) कृपया नामांकन की कागजी प्रति (हार्ड कॉपी) अलग से इस कार्यालय में प्रेषित न की जाए।
- 5. कृपया यह सुनिश्चित करें कि जिस अधिकारी को नामांकित किया जाए वह प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए नासिन फरीदाबाद को रिपार्ट करे। अंतिम क्षणों में नामांकनों को रद्द करने/वापस लेने से प्रशासनिक तथा वित्तीय समस्याएं हो सकती है।
- 6. यह भी उल्लेखित किया जाता है कि जो प्रतिभागी परिसर (कैंपस) में ठहरना चाहते हैं उनके लिए सीमित हॉस्टल/ छात्रावास की सुविधा उपलब्ध है। प्रतिभागियों के लिए हॉस्टल एवं मैस प्रभार के लिए

(कुल मिलाकर) लगभग 400रू/दिन होंगे इसमें कमरे का किराया 100रू, जलपान + सुबह की चाय 100रू, रात्रिभोज 200रू शामिल हैं। 250रू दोपहर के भोजन और चाय/स्नैक्स (दिन में दो बार) हेतु पंजीकरण के समय सभी प्रतिभागियों को अलग से देने होंगे। प्रतिभागी यदि कैंपस के छात्रावास में ठहरना चाहते हैं तो इसके लिए अनुरोध अपर-निदेशक (प्रशासन), नासिन को ई-मेल nacengangotri@gmail.com पर भेजा जाए।

- 7. यदि प्रतिभागी पास के होटल में ठहरना चाहते हैं तो वे होटल की जानकारी ई-मेल nacengangotri@gmail.com पर ई-मेल भेजकर ले सकते हैं।
- 8. नामांकित अधिकारियों को कृपया प्रशिक्षण कार्यशाला में भाग लेने हेतु अनिवार्य रूप से दिनांक 28.01.2019 को प्रातः 09:30 बजे सेक्टर-29, नजदीक पुलिस लाइन, फरीदाबाद स्थित अकादमी पर रिपोर्ट करने हेतु निर्देशित किया जाए। नजदीकी मेट्रो स्टेशन वायलेट लाइन पर सेक्टर-28 है। चूंकि समापन समारोह दिनांक 28.01.2019 को शाम 06:00 बजे तक जारी रह सकता है, अतः अधिकारियों को अपनी वापसी की यात्रा को तदनुसार ही तय करने हेतु सलाह दी जाती है।

भवदीय,

(अजय कुमार अरोरा) उप-निदेशक

- 1. मुख्य आयुक्त, सीमा शुल्क (सभी)
- 2. मुख्य आयुक्त, सी.जी.एस.टी. एवं उत्पाद शुल्क (सभी)
- 3. सी.बी.आई.सी. के अधीन सभी महानिदेशालयों के महानिदेशक
- 4. मुख्य विभागीय प्रतिनिधि, सेसटैट, नई दिल्ली
- 5. आयुक्त, सीमा शुल्क (सभी)
- 6. आयुक्त, सी.जी.एस.टी. एवं उत्पाद शुल्क (सभी)
- 7. आय्क्त, लेखा परीक्षा आय्क्तालय (सभी)
- 8. सी.बी.आई.सी. एवं नासिन वेबसाइट



राष्ट्रीय सीमा शुल्क, अप्रत्यक्ष कर एवं नार्कोटिक्स अकादमी भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग नासिन कॉम्पलैक्स, सैक्टर—29, फरीदाबाद—121008

NATIONAL ACADEMY OF CUSTOMS, INDIRECT TAXES & NARCOTICS
Government of India, Ministry of Finance, Department of Revenue
NACIN Complex, Sector-29, Faridabad-121008

फोन /Telephone : 0129-2504652-54

फैक्स / Fax : 0129-2504632

F.No. II(11)11/2018 - NACIN 188 to 417

Date: 17 .01.2019

Madam/Sir,

Sub: One-Day Workshop on "Official Usages of Rajbhasha Hindi" for Group 'A' officers of CBIC on **28**th **January, 2019** at NACIN, Faridabad-reg.

National Academy of Customs, Indirect Taxes and Narcotics, Faridabad is organizing a One-Day Workshop on "Official Usages of Rajbhasha Hindi" for Group 'A' Officers of CBIC on 28th January, 2019 at NACIN, Faridabad.

- 2. It is, therefore, requested that suitable Group 'A' officers of CBIC may be nominated for participating in the above course.
- 3. Nominations may please be sent through e-mail only at email ID: adist.nacen@gov.in to Shri Ajai Kumar Arora, Deputy Director, NACIN, Faridabad by 25th January, 2019 positively. The telephone/mobile numbers and e-mail address (in capital letters) of the nominated officers may also be indicated in the nomination letter so as to facilitate ease of contact/communication.
- 4. It is, further, requested that hard copy of nomination may not be sent separately through courier or by post so as to avoid wastage of paper.
- 5. It may kindly be ensured that the officer once nominated should attend the training course as last minute cancellation/withdrawal results in considerable administrative and financial issues.
- 6. It may be mentioned that limited hostel facilities are available for the participants, who wish to stay in campus. For the participants, the hostel and mess charges (all inclusive) shall be approximately Rs. 400/- per day. This includes Rs. 100/- room rent, Rs. 100/- Breakfast + bed tea, Rs. 200/- for dinner. Rs. 250/- for lunch and tea/snacks (twice a day) is to be paid separately at the time of registration by all the participants. Request for stay in campus hostel may be sent directly to the Additional Director (Admn.), NACIN, at e-mail id: nacengangotri@gmail.com.

Page 1 of 2

- 7. In case participants are desirous of staying in a nearby hotel, they may send their request to e-mail id: nacengangotri@gmail.com for hotel details.
- 8. The nominated officers may please be directed to report to the Academy at Sector 29, Near Police Lines, Faridabad on 28.01.2019 at 9.30 a.m. positively for attending the training course. Nearest Metro Station is Sector-28 on the **Violet Line**. As the valedictory function on 28.01.2019 may continue up to 6.00 p.m., the officers may be advised to plan their return journey accordingly.

 Ygurs faithfully,

(Ajai Kumar Arora)

Deputy Director

To

- 1. The Chief Commissioners of Customs (All)
- 2. The Chief Commissioners of CGST & Central Excise (All)
- 3. The Director General (All Directorates General under CBIC)
- 4. The Chief Departmental Representative, CESTAT, New Delhi
- 5. The Commissioners of Customs (All)
- 6. The Commissioners of CGST & Central Excise (All)
- 7. The Commissioners of Audit Commissionerates (All)
- 8. CBIC & NACIN Website